श्री लखविन्द्र सिंह, पुत्र श्री जगमेल सिंह, एचआईजी– 814, फेस-II मोहाली, पंजाब के द्वारा खसरा संख्या 1165, 1166, 1169, 1173, 1174, 1196, 1197, 1198, 1200, 1206, 1206/1, 1226 एवं 1227 (निजी भूमि, पहाड़ी ढलान), मौजा कुठार बीत, मोहाल जोड़ियां कुठार बीत, तहसील हरोली, जिला ऊना (हि.प्र.), कुल खनन क्षेत्र 07–21–35 हैक्टेयर में से रेत, पत्थर व बजरी के खनन, कुल मात्रा 3,54,258 टन प्रतिवर्ष के प्रस्ताव पर आयोजित पर्यावरणीय जन सुनवाई की कार्यावाही का विवरण।

हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा आज दिनांक 23.08.2023 को सुबह 11:30 बजे, श्री लखविन्द्र सिंह, पुत्र श्री जगमेल सिंह, एचआईजी– 814, फेस-II मोहाली, पंजाब के द्वारा खसरा संख्या 1165, 1166, 1169, 1173, 1174, 1196, 1197, 1198, 1200, 1206, 1206/1, 1226 एवं 1227 (निजी भूमि, पहाड़ी ढलान), मौजा कुठार बीत, मोहाल जोड़ियां कुठार बीत, तहसील हरोली, जिला ऊना (हि.प्र.), कुल खनन क्षेत्र 07–21–35 हैक्टेयर में से रेत, पत्थर व बजरी के खनन, कुल मात्रा 3,54,258 टन प्रतिवर्ष के प्रस्ताव पर खुला मैदान नजदीक पंचायत घर कुठार बीत, गांव कुठार बीत, तहसील हरोली, जिला ऊना (हि.प्र.) में पर्यावरणीय जन सुनवाई का आयोजन भारत सरकार द्वारा जारी की गई अधिसूचना संख्या एस ओ – 1533 (अ) दिनांक 14 सितम्बर 2006 के अर्न्तगत निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार माननीय उपमंडलीय दंडाधिकारी हरोली एवं अध्यक्ष पर्यावरण जन सुनवाई की अध्यक्षता में करवाया गया।

इस पर्यावरणीय जन सुनवाई के दौरान खनन अधिकारी ऊना, विभिन्न विभागो के अधिकारीगण, स्थानीय ग्राम पंचायतो के प्रतिनिधि, प्रस्तावित खनन परियोजना के प्रस्तावक व उनके परामर्शदाता और स्थानीय व निकटवर्ती गांवो के निवासी उपस्थित थे। जनसुनवाई की उपस्थिति शीट **संलग्नक–1** के रूप मे संलग्न की गई है।

सर्वप्रथम, श्री प्रवीण कुमार, क्षेत्रीय अधिकारी, हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड क्षेत्रीय कार्यालय ऊना ने अध्यक्ष महोदय, विभिन्न विभागों के अधिकारियों व कर्मचारियों, स्थानीय पंचायत के प्रतिनिधियों, प्रस्तावित इकाई के प्रस्तावक व उनके परामर्शदाता और उपस्थित जनता का अभिनन्दन किया। उन्होनें पर्यावरणीय जनसुनवाई के आयोजन के संबंध मे जनसमूह को एक विस्तृत जानकारी दी और तत्पश्चात अध्यक्ष महोदय की आज्ञा से जन सुनवाई की कार्यावाही आरम्भ की।

तत्पश्चात, क्षेत्रीय अधिकारी, हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड क्षेत्रीय कार्यालय ऊना ने प्रस्तावित खनन परियोजना के प्रस्तावक के परामर्शदाता (मैसर्स शिवालिक सॉलिड़ वेस्ट मैनेजमैंट प्राईवेट लिमिटेड, जीरकपुर पंजाब) को प्रस्तावित खनन परियोजना की विस्तृत जानकारी जनसमूह को देने का निवेदन किया। इसके उपरान्त प्रस्तावित खनन परियोजना के परामर्शदाता द्वारा प्रस्तावित परियोजना के प्रस्ताव की विस्तृत जानकारी उपस्थित जनसमूह कों दी गई। इस विस्तृत जानकारी के उपरान्त सहायक पर्यावरण अभियंता ने उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए उन्हें प्रस्तावित खनन परियोजना के प्रस्ताव के सम्बन्ध में अपनें सुझाव, विचार, टिप्पणियां एवं आपत्तियों को बिना किसी दबाव व भय के पूछने को कहा।

इस पर्यावरण जन सुनवाई की संपूर्ण कार्यवाही की वीडियोग्राफी भी की गई। इस पर्यावरण जन सुनवाई के दौरान उठाए गए मुद्दों एवं उन पर की गई टिप्पणियों की कार्यवाही का विवरण निम्न प्रकार सें हैं:

क्रमांक	नाम व पता	मामले/ सुझाव	उत्तर
1.	श्री राजदीप सिंह, गांव कुठार बीत, तहसील हरोली, जिला ऊना (हि. प्र.)	उन्होनें पूछा कि प्रस्तावित खनन परियोजना मे खनन कितनी मात्रा में और कितनी गहराई तक किया जाएगा। उन्होनें कहा कि प्रस्तावित खनन परियोजना के प्रस्तावक के द्वारा इलाका निवासियों के साथ अच्छा व्यवहार और सहयोग किया जाता है। उन्होनें इलाके में चल रहें मैसर्ज ओम स्टोन क्रशर नामक एक अन्य स्टोन क्रशर कें संबंध मे बताया कि उक्त स्टोन क्रशर के द्वारा पानी के बहाव की दिशा मनमर्जी से बदल कर ग्रामीणों की जमीनों की ओर कर दी गई है। जिससे इनकी जमीनों को नुक्सान हो रहा है। उन्होनें आगे बताया कि उक्त क्रशर द्वारा रास्तों पर पानी का छिड़काव भी नही किया जा रहा है और खनन का कार्य 250 से 300 फीट तक किया जा रहा है। उन्होनें प्रशासन से	परियोजना प्रस्तावक के परामर्शदाता ने उत्तर दिया कि प्रस्तावित खनन परियोजना में प्रतिवर्ष 354258 टन खनन सामग्री निकाली जाएगी और खनन का कार्य अनुमोदित खनन प्लॉन के अनुसार वैज्ञानिक तरीके से ही किया जाएगा। क्षेत्रीय अधिकारी, हि.प्र. राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड क्षेत्रीय कार्यालय ऊना ने जनसमूह से अनुरोध किया कि वह इस कार्यक्रम में प्रस्तावित खनन परियोजना से संबधित ही अपने विचार, आपत्तियां, प्रश्न आदि रखे। उन्होनें कहा की किसी अन्य मुद्दे पर वह अपनी बात इस जनसुनवाई

		आग्रह किया की उक्त स्टोन क्रशर की जांच की जाए।	के बाद भी प्रशासन के समक्ष रख सकते है।
2.	श्री राकेश कुमार शर्मा, प्रधान ग्राम पंचायत पोलियां बीत, तहसील हरोली, जिला ऊना (हि.प्र.)	उन्होनें बताया कि प्रस्तावित खनन परियोजना के प्रस्तावक का स्टोन क्रशर उनके गांव मे स्थित है और इनके स्टोन क्रशर के चलने से ग्रामीणों को कोई परेशानी नही है। उन्होनें बताया कि प्रस्तावक द्वारा गांव में नियमित रुप से पानी का छिड़काव किया जाता है और पौधारोपण भी किया गया है। उन्होनें आगे बताया कि प्रस्तावक द्वारा गांव के लोगो को घर निमार्ण के लिए मुफ्त मे बजरी इत्यादि मुहैया करवाई जाती है। उन्होनें कहा कि उन्हें प्रस्तावित खनन परियोजना की स्थापना सें कोई भी आपत्ति नही है और वह इस खनन परियोजना का स्वागत करते है।	
3.	श्री ओम पाल, बीडीसी सदस्य, पोलियां बीत, तहसील हरोली, जिला ऊना (हि. प्र.)	उन्होनें बताया कि प्रस्तावित खनन परियोजना के प्रस्तावक का स्टोन क्रशर हमारे लिए लाभदायक है। उन्होनें कहा कि प्रस्तावित खनन परियोजना की स्थापना नियमानुसार की जा रही है और इस परियोजना से लोगो को लाभ ही प्राप्त होगा।	
4.	श्री सुभाष चंद, गांव कुठार बीत, तहसील हरोली, जिला ऊना (हि. प्र.)	उन्होनें बताया कि इलाके मे स्थापित एक अन्य स्टोन क्रशर मैसर्ज ओम स्टोन क्रशर का संचालन रात के समय में भी लगातार किया जा रहा है। उन्होनें बताया कि इस परेशानी के संबंध में ग्रामीणो द्वारा एक शिकायत पत्र जिलाधीश ऊना के कार्यालय में भी दिया गया है।	क्षेत्रीय अधिकारी, हि.प्र. राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड क्षेत्रीय कार्यालय ऊना ने उत्तर दिया कि इस शिकायत से संबधित स्टोन क्रशर की जांच की जाएगी।
5.	श्री संतोख सिंह, गांव टिब्बीयां, तहसील हरोली, जिला ऊना (हि. प्र.)	उन्होनें कहा कि उनके गांव मे स्थित स्टोन क्रशर का संचालन दिन और रात पूरे चौबीस घंटे किया जा रहा है। उन्होनें कहा कि रात 08 बजे से सुबह 06 बजे तक खनन ना किये जाने के नियम को दरकिनार करते हुए मे पूरी रात खनन का कार्य और स्टोन क्रशर का संचालन किया जा रहा है। जिससे ग्रामीणो को रात के समय भी ध्वनि प्रदूषण की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। उन्होनें प्रशासन से आग्रह किया कि उक्त क्रशर की जांच कर उचित कार्यावाही की जाए।	

जनसुनवाई की कार्यावाही के दौरान लिखित में कोई भी सुझाव, विचार, टिप्पणी या आपत्ति प्राप्त नही हुई।

पर्यावरणीय जनसुनवाई कार्यक्रम मे उपस्थित स्थानीय जनता की राय के अनुसार अधिकतम लोग प्रस्तावित खनन परियोजना की स्थापना के पक्ष मे हैं।

अंतः में श्री प्रवीण कुमार, क्षेत्रीय अधिकारी, हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ऊना ने अध्यक्ष महोदय एवं अन्य सभी प्रतिभागियों का इस पर्यावरण जन सुनवाई मे भाग लेने का धन्यवाद किया।

विशाल शर्मा
उपमंडलीय दंडाधिकारी
हरोली, जिला ऊना (हि.प्र.)